

(5)

अंचल अधिकारी 21241 का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या- 75/2016-17

वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि 1950 की धारा 4(h) के तहत जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-2074/रा0, दिनांक-13.05.2016 सहपठित-श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या-3-खा0म0निति-119/85/2308/रा0, दिनांक-03.09.1985 एवं सह-पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या-914/रा0, दिनांक-09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :-

मौजा- ~~रतौली~~ थाना- 153 खाता संख्या- 99 प्लॉट संख्या- 2995 रकबा- 0.30 एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी-11 के जिल्द संख्या- के पृष्ठ संख्या- 179 पर जमाबंदी रैयत फुदी लौतानी के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोड़कर बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/ निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पूछा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक- 22/07/16 को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

7/16
15-7-16

L:\Sec 5 New\Awaidh Jambandi.docx

7/16
15-7-16
अंचल अधिकारी

अचल अधिकारी का कार्यालय, निरसा।

संदिग्ध जमाबंदी रद्द अभिलेख संख्या...../2016-17



तिथि	आदेश फलक	अभ्युक्ति
1	2	3
<p>22.7.16</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती <u>फुली बेनारी</u> साकिम <u>धोनाडी</u> अनुपस्थित है। जमाबंदी रैयत को पुनः द्वितीय नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक <u>22.7.16</u> को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> <u>22/7/16</u> अंचल अधिकारी निरसा। </p>	
<p>28.7.16</p>	<p>अभिलेख उपस्थापित किया गया। द्वितीय नोटिस का तामिला प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है। द्वितीय पक्ष <u>फुली बेनारी</u> जमाबंदी रैयत के वंशज <u>परपोख</u> श्री/श्रीमती <u>बबलु साधु दी०</u> साकिम <u>धोनाडी</u> उपस्थित है एवं राजस्व कागजात यथा <u>लगान रसीद</u> समर्पित किया गया है।</p> <p>राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन, चेक स्लीप व अनुशंसा के आधार पर प्रमाणित होता है कि मौजा <u>धोनाडी</u> मौजा नं०-<u>153</u> खाता <u>99</u> प्लॉट नं०-<u>2995</u> रकवा <u>0.30</u> जो गत सर्वे खतियान के अनुसार गैर आबाद खाते की भूमि है एवं जमाबंदी पंजी II में कायम जमाबंदी सं०-<u>179</u> दाखिल खारिज/लगानधार्य/सरकारी बन्दोबस्ती वादसं० <u>X</u> के अनुसार प्राधिकार कॉलम में किसी सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर से कायम नहीं की गई है।</p> <p>अतः बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में पंजी II में कायम जमाबंदी सं०-<u>179</u> के रद्द करे <u>हूँ</u></p> <p>.....अभिलेख मूल में अनुशंसा के साथ भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर समाहर्ता, धनबाद को भेजें।</p> <p style="text-align: right;"> <u>28/7/16</u> अंचल अधिकारी निरसा। </p>	

24.4.18

अभिलेख उपस्थापित। राजस्व कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रश्नगत भूमि से संबंधित जाँच पुनः करायी गई। राजस्व कर्मचारी ने जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया है कि, श्री/श्रीमती.....श्री देवता..... पिता/पति-.....
..... साकिम-.....साकिम..... के द्वारा अपने पक्ष में प्रश्नगत भूमि मौजा-.....साकिम....., मौजा सं०-.....153....., खाता सं०-.....99....., प्लॉट सं०-.....2995....., रकबा-.....0.80 ए० भूमि गैर आबाद खाते से संबंधित है। नोटिस का तामिला उपरान्त जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा अपने साक्ष्य के रूप में सादा हुकुमनामा/केवाला दलील/बन्दोबस्ती/पट्टा/लगान-रसीद प्रस्तुत किया/नहीं किया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने जमाबंदी सं०-.....179.....को रद्द करने हेतु अनुशंसा किया है। तथा पूर्व में भी राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा जमाबंदी रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः उक्त जमाबंदी सं०-.....179..... को विहार/झारखण्ड भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा-4(h) के तहत अवैध मानते हुए रद्द करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अभिलेख मूल में अग्रतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनवाद को भेजें।

24.4.18
अंचल अधिकारी
निरसा।

तिथि	पदाधिकारी आदेश	अभ्युक्ति
17.11.2020	<p>अभिलेख उपरिस्थापित।</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के पत्रांक-733, दिनांक-23.09.2020 के द्वारा विभागीय पत्र संख्या-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 के आलोक में पूर्ण समीक्षा कर अभिलेख का निस्तारण करने का निदेश प्राप्त है। उक्त निदेश के आलोक में पुनः जमबांदीदार रैयत/उनके वंशज को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-27.11.2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधीक्षक, निरसा।</p>	
27.11.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>नोटिस का तामिला प्राप्त। जमाबंदीदार रैयत/उनके वंशज निर्धारित तिथि को उपस्थित/अनुपस्थित। इनके द्वारा अपने पक्ष में कोई भी राजस्व कागजात/साक्ष्य समर्पित नहीं कराया गया। इस संबंध में संबंधित राजस्व कर्मचारी को पुनः निदेश दिया जाता है कि एक पक्ष के अन्दर गहनतापूर्वक जाँच कर हाल खाता/प्लॉट का उल्लेख करते हुये अंचल निरीक्षक के माध्यम से चेक-लिस्ट एवं जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें।</p> <p>अभिलेख दिनांक-07.12.2020 को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"> अंचल अधीक्षक, निरसा।</p>	
07.12.2020	<p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक द्वारा अंचल निरीक्षक के माध्यम से विभागीय पत्रांक-1704/रा0, दिनांक-15.07.2020 में वर्णित तथ्यों के आलोक में जमबांदी नियमितीकरण/रद्द करने से संबंधित भूमि का स्थलीय एवं राजस्व कागजातों का</p>	

मिलान कर जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौजा-
झिवाड़ी, मौजा नं०-153, खाता सं०-99, प्लॉट सं०-29
रकबा-0.30एव गत् सर्वे खतियान एवं हाल सर्वे खतियान के

अनुसार गैर आबाद (अनाबाद बिहार/झारखण्ड सरकार) खाते की भूमि है।
जमाबंदी रैयत/वंशज के द्वारा दिनांक-01.01.1946 के पूर्व का कोई भी राजस्व
कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। जमाबंदी रैयत/वंशज का उक्त भूमि पर वर्ष
1985 के पूर्व से दखलकार नहीं है। उक्त जमाबंदी को नियमितीकरण नहीं की
जा सकती है। इस संबंध में तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक, अंचल निरीक्षक एवं
अंचल अधिकारी के द्वारा पूर्व में उक्त जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की
गयी है। पुनः संबंधित राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा अवैध
जमाबंदीदार फुटी बेनानी के नाम से पंजी-II में कायम
जमाबंदी संख्या-179 को रद्द करने की अनुशंसा की गयी है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन एवं अनुशंसा
के आधार पर बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4(h) के
तहत पंजी-II में कायम जमाबंदी संख्या-179 को रद्द करने हेतु अनुशंसा
के साथ अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप समाहर्ता, धनबाद के माध्यम से अपर
समाहर्ता, धनबाद को भेजें।


अनुप प्रधानमंत्री,
निरसा।